प्रस्तावना

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

सामान्य

1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य के पीएसयूज की स्थापना जन–कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियों के संचालन के लिये की जाती है तथा इनका राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। 31 मार्च 2018 तक, छत्तीसगढ़ में 26 पीएसयूज थे, जिनमें एक[1] सांविधिक निगम एवं 25 सरकारी कम्पनियाँ (जिनमें तीन गैर–कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ सम्मिलित हैं) थी जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन थी। इनमें से कोई भी सरकारी कम्पनियाँ शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध नहीं थी।

2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का 31 दिसम्बर 2018 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, वित्तीय निष्पादन इस प्रतिवेदन में सम्मिलित है। पीएसयूज की प्रकृति एवं लेखों की स्थिति तालिका–1 में दर्शाई गई है।

तालिका–1: प्रतिवेदन में सम्मिलित पीएसयूज की प्रकृति

पीएसयूज की प्रकृति	कुल संख्या	पीएसयूज की संख्या जिनके लेखें प्रतिवेदन अवधि के दौरान प्राप्त हुए				पीएसयूज की संख्या जिनके लेखें (कुल बकाया लेखें) 31 दिसम्बर 2018 को बकाया हैं
		2017–18[2] तक के लेखें	2016–17 तक के लेखें	2015–16 तक के लेखें	योग	
इस प्रतिवेदन में सम्मिलित हुए पीएसयूज						
सरकारी कम्पनियाँ	17	7	10	–	17	10 (10)
सांविधिक निगम	1	1	–	–	1	–
योग	**18**	**8**	**10**	**–**	**18**	**10 (10)**
इस प्रतिवेदन में न सम्मिलित हुए पीएसयूज						
पीएसयूज जिनके लेखें तीन वर्षों या उससे अधिक समय से बकाया थे/प्रथम लेखा जमा नहीं किया/बकाया था, या जिन्होंने व्यवसाय संचालन प्रारंभ नहीं किया	5	1	–	–	1	4 (10)
गैर–कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ	3	2	1	–	3	1 (1)
गैर–कार्यरत सांविधिक निगम	–	–	–	–	–	–
योग	**8**	**3**	**1**	–	**4**	**5 (11)**
महायोग	**26**	**11**	**11**	**–**	**22**	**15 (21)**

इस प्रतिवेदन में आठ पीएसयूज को सम्मिलित नहीं किया गया है जिनके लेखें तीन वर्षों या उससे अधिक समय से बकाया हैं या गैर–कार्यरत/परिसमापन के अधीन थे या प्रथम लेखा प्राप्त नहीं हुआ या बकाया था या जिन्होंने व्यवसाय संचालन प्रारम्भ नहीं किया जैसा ***अनुलग्नक–3.2*** में विवरणित किया गया है। इस प्रतिवेदन में

[1] छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम
[2] जनवरी 2018 से दिसम्बर 2018 तक

सम्मिलित 18 राज्य पीएसयूज[3] ने 31 दिसम्बर 2018 को इनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 28,802.99 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2017–18 (₹ 2,91,681 करोड़) के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 9.87 प्रतिशत के बराबर था। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित पीएसयूज ने इनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 158.67 करोड़ का लाभ अर्जित किया। मार्च 2018 को इस प्रतिवेदन में सम्मिलित राज्य पीएसयूज में लगभग 18,270 कर्मचारी कार्यरत थे।

इस प्रतिवेदन में आठ पीएसयूज (सभी सरकारी कम्पनियाँ) जिनका कुल निवेश ₹ 394.63 करोड़, जिसमें पूँजी (₹ 160.65 करोड़) एवं दीर्घावधि ऋण (₹ 233.98 करोड़) था, को सम्मिलित नहीं किया गया है। यह ध्यान देने योग्य क्षेत्र है क्योंकि इन पीएसयूज में किए गए निवेश राज्य के आर्थिक विकास में कोई योगदान नहीं करते हैं।

जवाबदेयता संरचना

3 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धाराएँ 139 एवं 143 में उल्लेखित है। अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी से आशय ऐसी कम्पनी से है जिसमें प्रदत्त अंशपूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार के द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो एवं इसमें ऐसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) एवं (7) के अंतर्गत सरकारी कम्पनियों में सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसार सरकारी कम्पनियों में सीएजी द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के एक सौ अस्सी दिनों के अंदर किया जाना है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(7) के अनुसार सरकारी कम्पनी के मामले में सीएजी द्वारा प्रथम लेखापरीक्षक की नियुक्ति कम्पनी के पंजीकरण की तिथि से साठ दिनों के अंदर किया जाना है एवं यदि सीएजी द्वारा उल्लेखित अवधि में इस तरह के लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है तो कम्पनी के संचालक मण्डल अथवा कम्पनी के सदस्यों द्वारा इस प्रकार के लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जायेगी।

साथ ही, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप–धारा 7 के अनुसार, धारा 139 की उप–धारा (5) या उप–धारा (7) के अंतर्गत आने वाली किसी भी कम्पनी के प्रकरण में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी), यदि आवश्यक समझें, तो एक आदेश द्वारा, ऐसी कम्पनी के लेखों की नमूना जाँच करवा सकते हैं तथा नमूना जाँच के प्रतिवेदन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19–ए के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार, एक सरकारी कम्पनी, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित होती है, सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन है। किसी कम्पनी के 31 मार्च 2014 को अथवा उससे पूर्व प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्षों से संबंधित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होती रहेगी।

[3] इन आंकड़ों में पाँच ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज एवं 13 ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज सम्मिलित है।

सांविधिक लेखापरीक्षा

4 सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों (जैसा अधिनियम 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जो कि अधिनियम 2013 की धारा 139(5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत कम्पनी के वित्तीय विवरण एवं अन्य के सहित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सीएजी को प्रस्तुत करते हैं। ये वित्तीय विवरण, अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति से साठ दिनों की अवधि में सीएजी द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के भी अधीन होते हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा इनके संबंधित विधानों के द्वारा शासित होती है। छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम के प्रकरण में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है तथा सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

पीएसयूज द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

समय पर अंतिमीकरण एवं प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता

5 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 एवं 395 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी के कामकाज एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी वार्षिक सामान्य सभा (एजीएम) के तीन महीने के अंदर तैयार किया जाना है एवं इस तरह की तैयारी के बाद जितना शीघ्र हो सके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति एवं सीएजी द्वारा बनायी गयी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पूरक या किसी भी टिप्पणियों के साथ सदनों या राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखेगा। सांविधिक निगमों को विनियमित करने के लिये भी लगभग समान प्रावधान हैं। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक कोष के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की एजीएम करनी होती है। यह भी कहा गया है कि एक एजीएम की तिथि से अगली एजीएम की तिथि के बीच 15 महीने से अधिक समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 अनुबंधित करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उक्त एजीएम में उनके विचार करने के लिए रखा जाना चाहिए। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(7) में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के गैर–अनुपालन के लिए जिम्मेदार कम्पनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना एवं कारावास का प्रावधान है।

सरकार एवं विधानमण्डल की भूमिका

6 राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन पीएसयूज के मामलों पर नियंत्रण रखती है। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी एवं निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधानमण्डल पीएसयूज में सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोग की निगरानी करता है। इसके लिए राज्य सरकार की कम्पनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन एवं सीएजी की टिप्पणियों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन अधिनियम 2013 की धारा 394 के अंतर्गत एवं सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संबंधित अधिनियमों में निर्धारित किये गये अनुसार राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जाते हैं। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियां

तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19–ए के अंतर्गत सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) में निवेश

7 छत्तीसगढ़ शासन (जीओसीजी) की पीएसयूज में उच्च वित्तीय भागीदारी है। यह मुख्य रूप से तीन प्रकार की है:

- **अंश पूँजी एव ऋण –** अंश पूँजी योगदान के अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ शासन समय–समय पर पीएसयूज को ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।
- **विशेष वित्तीय सहायता –** छत्तीसगढ़ शासन पीएसयूज को आवश्यकता के अनुसार अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करता है ।
- **गारंटियाँ –** छत्तीसगढ़ शासन वित्तीय संस्थानों से पीएसयूज द्वारा लिये गये ऋण की ब्याज के साथ पुनर्भुगतान की गारंटी भी देता है।

8 31 मार्च 2018 को पीएसयूज में निवेश का क्षेत्रवार सारांश तालिका–2 में दिया गया है।

तालिका–2: पीएसयूज में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का नाम	सरकारी कम्पनियाँ		सांविधिक निगम		योग	निवेश (₹ करोड़ में)		
	कार्यशील	इस प्रतिवेदन मे सम्मिलित नहीं की गई	कार्यशील	इस प्रतिवेदन मे सम्मिलित नहीं की गई		पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग
ऊर्जा	5	–	–	–	**5**	6,591.89	13,511.91	**20,103.80**
ऊर्जा के अतिरिक्त	12	8	1	–	**21**	217.87	803.67	**1,021.54**
योग	**17**	**8**	**1**	**–**	**26**	**6,809.76**	**14,315.58**	**21,125.34**

(स्त्रोतः पीएसयूज के वार्षिक लेखों तथा पूँजी एवं ऋण के स्वीकृति/जारी आदेश के आधार पर संकलित)

पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएसयूज में किए गए निवेश का प्रभुत्व मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र में था। 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान ₹ 1,541.82 करोड़ के कुल निवेश में से ऊर्जा क्षेत्र को ₹ 1,142.83 करोड़ (74.12 प्रतिशत) का निवेश प्राप्त हुआ।

9 31 मार्च 2016 एवं 31 मार्च 2018 के अंत में ऊर्जा एवं ऊर्जा के अतिरिक्त क्षेत्र में निवेश चार्ट–1 मे दर्शाया गया है।

चार्ट–1: पीएसयूज में क्षेत्रवार निवेश

(आंकड़ें ₹ करोड़ में)

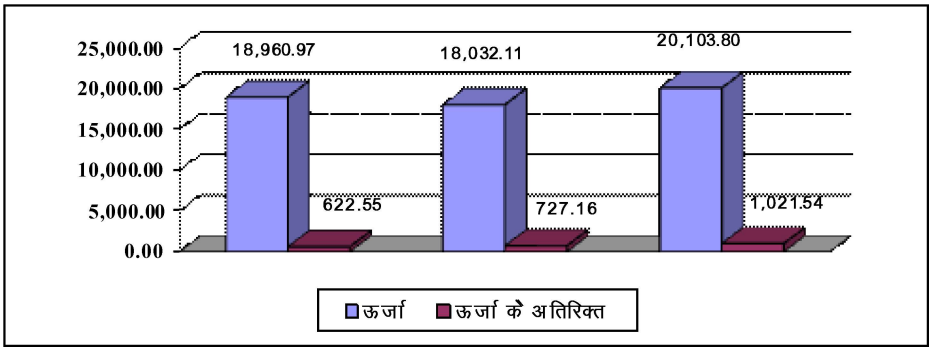

ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश को ध्यान में रखते हुए, हम इस प्रतिवेदन के भाग–1[4] में पाँच ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज एवं प्रतिवेदन के भाग–2[5] में 21 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत कर रहे हैं।

[4] भाग–1 में अध्याय–1 (ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप) एवं अध्याय–2 (ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा) सम्मिलित है।

[5] भाग–2 में अध्याय–3 (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज के कार्यकलाप) एवं अध्याय–4 (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका) सम्मिलित हैं।